फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भगवाना वगै0 बनाम मानाराम वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र

मु0नं0– 229/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय 11 सी पी सी पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 11 सी पी सी पेश किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में संबंध में पूर्व में निर्णय हो चूका है, ऐसी स्थिति में विचारणी वाद में सुनवाई किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है। इसलिए वाद को खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 11 सी पी सी पेश कर जवाब में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई भी निर्णय प्रभावशील व अस्तित्व में नहीं है, जिसके प्रकरण हाजा पर धारा 11 सी पी सी के प्रतिबन्ध लागू होते है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 11 सी पी सी खारिज किया जावे। तत्पश्चात बहस प्रा0पत्र 11 सी पी सी सुन पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0पत्र नियत की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रश्नगत भूमि के संबंध में एक वाद मानाराम बनाम गिर्राज प्रसाद वगै0 मु0न0 125/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय सांगानेर जयपुर द्वारा दिनांक 08.07.2020 को निर्णय पारित कर डिक्री किया जा चुका है, जो उक्त प्रकरण में विवादित भूमि एवं पूर्व में निर्णित भूमि एक ही है इसलिए उक्त प्रकरण समान न्यायालय के द्वारा निर्णित किए जाने के कारण रेस–ज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू होते है। ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण रेस–ज्यूडिकेटा के प्रावधानों के अंतर्गत होने के कारण पोषणीय नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 11 सी पी सी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र रेस–ज्यूडिकेटा के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 11 सी पी सी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	